न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 54/2022 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रीतिपाल नन्दवानी पुत्र स्व. रूपसिंह मैसर्स हरिओम एन्टरप्राईजेज, गोकुल टॉवर के पास बाजार नं. 02 भीलवाडा
2. श्री योगेश लधानी पुत्र हरिकिशन मैसर्स हरिओम एन्टरप्राईजेज, गोकुल टॉवर के पास, बाजार नं. 02 भीलवाडा
3. श्री दिलीप भाई बडोदरिया पुत्र सावजी भाई बडोदरिया मैसर्स सावता फूड प्रोडक्टस्, S.no. 15/2 Gala No. 2, Prithvi Indle Estate Ringanwada, Daman Dadra And Nagar Haveli and Daman and Diu.

–विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 विपक्षीगण उपस्थित

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक 21.09.2022

राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी प्रीतिपाल नन्दवानी पुत्र स्व. रूपसिंह मैसर्स हरिओम एन्टरप्राईजेज, गोकुल टॉवर के पास बाजार नं. 02 भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को घी (श्रीपाल ब्राण्ड) का विक्रय कर रहा था। प्रीतिपाल नन्दवानी पुत्र स्व. रूपसिंह मैसर्स हरिओम एन्टरप्राईजेज, गोकुल टॉवर के पास बाजार नं. 02 भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता 15–15 किलोग्राम के टिन/पीपों में कुल 2890

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

प्रकरण में सीजशुदा 2890 लीटर घी (श्रीपाल ब्राण्ड) को राजसात किया जाता हैं एवं उक्त सीजशुदा 2890 लीटर घी (श्रीपाल ब्राण्ड) को **मानव उपयोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग लेने वाले व्यापारी/फैक्ट्री को जरिये नीलामी, नीलाम किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को निर्देशित किया जाता हैं कि वे अपने अधीन 03 सदस्यों की कमेटी बनायी जाकर उक्त घी का निस्तारण किया जावे। बाद निस्तारण पालना रिपोर्ट प्रेषित की जावे।**

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर

2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे। **सीजशुदा 2890 लीटर घी (श्रीपाल ब्राण्ड) को** मानव उपयोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग लेने वाले व्यापारी/फैक्ट्री को जरिये नीलामी, नीलाम किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करायी जाकर पालना से अवगत करावें।

3. श्री प्रीतिपाल नन्दवानी पुत्र स्व. रूपसिंह मैसर्स हरिओम एन्टरप्राईजेज, गोकुल टॉवर के पास बाजार नं. 02 भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

4. श्री योगेश लधानी पुत्र हरिकिशन मैसर्स हरिओम एन्टरप्राईजेज, गोकुल टॉवर के पास, बाजार नं. 02 भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

5. श्री दिलीप भाई बडोदरिया पुत्र सावजी भाई बडोदरिया मैसर्स सावता फूड प्रोडक्टस्, S.no. 15/2 Gala No. 2, Prithvi Indle Estate Ringanwada, Daman Dadra And Nagar Haveli and Daman and Diu. को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)